प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन, संसद के सामने प्रस्तुत करने के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय एवं हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय के के जी–डी डब्ल्यू एन–98/3, पन्ना मुक्ता, ताप्ती एवं आर जे ओ एन '90/1 ब्लॉकों से सम्बन्धित 2008–09 से 2011–12 तक चार वर्षो की अवधि की हाईड्रोकार्बन उत्पादन सहभागिता अनुबन्ध की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों को शामिल किया है।

इसके अतिरिक्त इन ब्लॉको से सम्बन्धित वित्तीय एवं औचित्य की ऑपरेटर परिसर में की गई लेखापरीक्षा के परिणाम भी इस प्रतिवेदन में शामिल किये गए हैं।